Dr. HONEY SINHA
(Assistant Professor)
Dept. of Commerce

① Date: Lecture:- 91

Page:

Sub:- Business Organisation (Subs)
Paper:- Subsidiary Paper :- 1st

SNSRKS COLLEGE, SAHARSA

* B.Com Part 1st Sub:- B.O (Sub)

Introduction

** Advantages To A Private Company In Comparison with A Public Company AND Partnership Firm **

(सार्वजनिक कम्पनी तथा साझेदारी फर्म की तुलना में निजी कम्पनी को लाभ)

*** सार्वजनिक कम्पनी की तुलना में लाभ :-**

एक निजी कम्पनी को सार्वजनिक कम्पनी की तुलना में निम्नलिखित लाभ प्राप्त है -

(1) सदस्यों की संख्या (Number of Members) - निजी कम्पनी में कम से कम दो तथा अधिक से अधिक 50 सदस्यों की संख्या हो सकती है। परंतु सार्वजनिक कम्पनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है। तथा अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। निजी कम्पनी में सदस्यों की संख्या सीमित होने के कारण परस्पर सद्भाव एवं विश्वास की भावना बनी रहती है तथा कम्पनी का नियन्त्रण सीमित हाथों में ही रहता है।

(2) गोपनीयता (Secrecy) - व्यवसाय की सफलता के लिए गोपनीयता का होना अत्यन्त आवश्यक है। सार्वजनिक कम्पनी में प्रबन्ध कार्य अनेक व्यक्तियों के हाथ में होता है। विधान द्वारा भी कम्पनी को अपने कार्यों का वार्षिक विवरण प्रकाशित करना पड़ता है, अतः गोपनीयता सम्भव नहीं रहती। इसके विपरीत, निजी कम्पनी में सदस्यों की संख्या सीमित होने से पूर्ण गोपनीयता सम्भव है। प्रायः निजी कम्पनी के सदस्य एक ही परिवार के व्यक्ति होते हैं अतः व्यवसाय के भेद बाहर जाने की सम्भावना कम होती है।

Date : .....
Page : .....

(3) वैधानिक औपचारिकताएँ (Legal Formalities) – एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कम्पनी की अपेक्षाकृत बहुत कम वैधानिक औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती है जिसके फलस्वरूप समय व धन की बचत होती है। निजी कम्पनी 'समामेलन का प्रमाण-पत्र' (Certificate of Incorporation) पाते ही व्यापार आरंभ कर सकती है जबकि सार्वजनिक कम्पनी को व्यापार आरंभ करने के लिए व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण-पत्र (Certificate to Commence Business) भी प्राप्त करना होता है।

(4) लोच (Flexibility) – निजी कम्पनी अपने उद्देश्य तथा कार्यों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकती है, परंतु सार्वजनिक कम्पनी में परिवर्तन सुगमता से नहीं हो सकते। सभी महत्त्वपूर्ण निर्णय अंशधारियों की सभा में ही लिए जा सकते है। सार्वजनिक कम्पनी के संचालक मण्डल के पास अधिकार कम होते है।

(5) प्रत्यक्ष प्रेरणा (Direct Motivation) – निजी कम्पनी में संबन्ध अधिक रुचि तथा उत्साह से कार्य करते है क्योंकि उन्हे ज्ञात होता है कि जो भी लाभ होगा, वह उन्हे ही मिलेगा। इसके विपरीत सार्वजनिक कम्पनी में वेतनभोगी संचालक उतनी रुचि एवं उत्साह से कार्य नही करते, क्योंकि ~~इस~~ प्रयत्न तथा परिणाम में प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही होता।

(6) निर्णय लेने में शीघ्रता (Prompt Decision-making) – निजी कम्पनी में नीति-सम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक कम्पनी की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से लिए जा सकते है, क्योंकि सदस्य प्रायः एक ही परिवार के होते है तथा उनकी संख्या भी सीमित होती है। सार्वजनिक कम्पनी में निर्णय लेने के लिए अंशधारियों की सभा बुलानी पड़ती है जिसमें काफी समय नष्ट हो जाता है तथा व्यावसायिक अवसर हाथ से निकल सकता है। इस प्रकार निजी कम्पनी व्यवसायिक अवसरों का तत्परता से लाभ उठा सकती है।

Date :
Page:

(3) स्थायी अस्तित्व (Perpetual Existence) – एकाकी व्यवसाय या साझेदारी की तरह कम्पनी का अस्तित्व इसके सदस्यों के जीवन पर निर्भर नहीं करता। अतः किसी भी अंशधारी की मृत्यु या दिवालिया होने से या अपने शेयर बेच देने से कम्पनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन परिस्थितियों में भी कम्पनी का अस्तित्व कायम रहता है।

(4) स्वामित्व का प्रबन्ध से अलग होना (Separation of Ownership from Management) अंशधारी कम्पनी के एजेंट नहीं होते हैं, अर्थात वह अपने कार्यों से बाध्य नहीं है तथा एक अंशधारी अपनी कम्पनी के कार्य से बाध्य नहीं है।

(5) सदस्यों की संख्या (Number of Members) निजी कम्पनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या साझेदारी के समान है, परंतु एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 तक हो सकती है जबकि साझेदारी में अधिकतम 20 सदस्य (in Banking 10) ही हो सकते हैं।

(6) वित्तीय साधन (Financial Resources) – क्योंकि निजी कम्पनी में अधिक सदस्य हो सकते हैं तो स्वभाविक ही है कि निजी कम्पनी के वित्तीय साधन साझेदारी की अपेक्षा अधिक होंगे। निजी कम्पनी में सदस्यों से भी ऋण लिया जा सकता है। इस प्रकार सदस्य स्वामी होने होने के साथ-साथ ऋणदाता भी हो सकता है तथा उसके अधिकार ऋणदाताओं के ही समान होते हैं। परंतु साझेदारी में यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो फर्म की समाप्ति पर अन्य ऋणदाताओं को भुगतान करने के बाद ही साझेदार के ऋण का भुगतान किया जायेगा। अतः निजी कम्पनी ~~में दायित्व सीमित होता है, इसलिए जोखिम भी अधिक उठा सकते हैं~~ अधिक साधन जुटाने में कामयाब रहती है। यह वित्तीय संस्थाओं से भी सुगमता से ऋण प्राप्त कर सकती है।

(7) कुशल प्रबन्ध (Efficient Management) निजी कम्पनी साझेदारी फर्म की अपेक्षा बड़े पैमाने पर कार्य करती है तथा इसका अधिक वित्तीय साधनों पर नियन्त्रण होता है। इसलिए निजी कम्पनी विभिन्न योग्यताओं तथा अनुभव वाले व्यक्तियों की सेवा का लाभ उठा सकती है जो कि साझेदारी में सम्भव नहीं होता, क्योंकि निजी कम्पनी में दायित्व सीमित होता है, प्रबन्ध जोखिम भी अधिक उठा सकते हैं।

एक निजी कम्पनी को सार्वजनिक कम्पनी तथा साझेदारी फर्म के लगभग सभी लाभ प्राप्त है। एक तरफ तो निजी कम्पनी में सार्वजनिक कम्पनी की समस्त विशेषताएँ पायी जाती है जो कि साझेदारी में अनुपस्थित होती है, जैसे सीमित दायित्व, शाश्वत जीवन तथा निर्गमित पूंजी, तथा दूसरी ओर साझेदारी के वे गुण भी, जो कि सार्वजनिक कम्पनी में नहीं होते, जैसे व्यक्तिगत प्रबन्ध, प्रयत्न तथा परिणाम में प्रत्यक्ष प्रबन्ध, गोपनीयता आदि। निजी कम्पनी में साझेदारी के दोषों को दूर किया गया है तथा सार्वजनिक कम्पनी की अनेक वैधानिक औपचारिकताओं से भी मुक्ति प्राप्त की है।

अतः यह कहा ठीक है कि निजी कम्पनी में सार्वजनिक कम्पनी तथा साझेदारी के समस्त गुणों का समावेश है।

The end

Dr. Honey Sinha
(Assistant Professor)
Dept. of Commerce
SNSRKS College,
Saharsa